न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 02/24 दायरा दिनांक 07.05.2024

1. पप्पू पुत्र खैरू उम्र 52 वर्ष जाति काछी निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. माखोबाई पुत्री खैरू पत्नि मानसिंह उम्र 60 वर्ष जाति काछी निवासी देवरी हाल कछियाथाना तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी

– अपीलान्टस

बनाम

1. ग्राम पंचायत देवरी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– रेस्पो.

अपील विरूद्ध आदेश फौती नामान्तरकरण नम्बर 1083 दिनांक 07.06.1999 ग्राम देवरी तहसील शाहाबाद अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

निर्णय–दिनांक 23.08.2024

उपस्थित– अपीलाण्टस की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

रेस्पो. की ओर से – एकपक्षीय

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम देवरी पटवार हल्का देवरी तहसील शाहाबाद में आराजी ख.नं. 638 रकबा 0.12 बीघा व आराजी ख.नं. 652 रकबा 1.02 बीघा किता 2 कुल रकबा 1.14 बीघा कृषि भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमरलाल पुत्र खैरू माखो पुत्री खैरू कमली बेवा खैरू कोम काछी सा. देह के नाम दर्ज है। दर्ज खातेदारान में से कमली उर्फ कमरी बेवा खैरू की दिनांक 21.09.2021 को मृत्यु हो चुकी है, जिसके अपीलाण्टस ही पुत्र पुत्री होकर वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी हैं। उक्त आराजी अपीलाण्टस को अपने पिता खातेदार खैरू पुत्र सुक्खा से विरासत में प्रश्नगत फोती नामान्तरणं नंबर 1083 से प्राप्त हुई है। प्रश्नगत फोती नामान्तरण में अपीलाण्ट क्रम 1 का नाम पप्पू के स्थान पर अमरलाल गलत दर्ज कर दिया है, जबकि खातेदार खैरू का अमरलाल नाम का कोई पुत्र ही नहीं है, खातेदार खैरू के एकमात्र पुत्र अपीलाण्ट क्रम 1 पप्पू है। इस प्रकार खाते में अपीलाण्ट क्रम 1 का गलत नाम दर्ज हो जाने से अपीलाण्ट को भारी दिक्कत तथा परेशानी हो रही है। उक्त नाम की दुरूस्ती हेतु प्रार्थनापत्र तहसीलदार शाहावाद के समक्ष पेश किया तो उन्होंने उक्त नाम नामान्तरण के जरिये दर्ज होने से दुरूस्ती से इनकार कर दिया और अपीलाण्ट को श्रीमान न्यायालय में अपील करने की हिदायत दी है। के.सी.सी. बनवाने हेतु दिनांक 17.04.2024 को हल्का पटवारी से नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर अपीलाण्टस को प्रश्नगत नामान्तरकरण प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.09.24 12:44:55 IST
Reason: SelfAttested

23.08.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

ज्ञान हुआ, ज्यों ही ज्ञान हुआ कि उसी दिन हल्का पटवारी से प्रश्नगत नामान्तरण की नकल प्राप्त कर ली और सर्वप्रथम ज्ञान से आज यह अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। पूर्व की डिले जानकारी के अभाव में क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम साथ संलग्न है। अपील का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य वजुहात वक्त वहस मौखिक अर्ज किये जावेंगे। अतः अपील पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर मृत खातेदार खैरू पुत्र सुक्खा काछी निवासी देवरी की विरासत बावत तस्दीक प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण नम्बर 1083 दिनांक 07.06.1999 ग्राम देवरी तहसील शाहाबाद को निरस्त फरमाया जावे तथा मृतक खातेदार खैरू के स्थान पर अपीलान्टस के नाम समभाग से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के सादर आदेश रेस्पो. क्रम 2 को पारित फरमाये जाने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टस की तलबी की गई। रेस्पोन्डेन्टस के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्टस की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि प्रश्नगत नामान्तरण में अपीलाण्टस क्रम 1 का नाम पप्पू के स्थान पर अमरलाल गलत दर्ज कर दिया है, जबकि खातेदार खैरू का अमरलाल नाम का कोई पुत्र ही नहीं है। खातेदार खैरू के एकमात्र पुत्र अपीलाण्ट क्रम 1 पप्पू है। अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत आधारकार्ड तथा राशनकार्ड की प्रति से अपीलाण्ट क्रम 1 का नाम पप्पू होना साबित होता है। प्रस्तुत मृत्यु प्रमाणपत्र से कमरी पत्नि खैरू की मृत्यु होना भी साबित है। इस प्रकार पत्रावली पर प्रश्नगत नामान्तरण को खारिज करने के लिये ठोस आधार मौजूद हैं।

अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण नंबर 1083 ग्राम देवरी दिनांक 07.06.1999 को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृत खातेदार खैरू पुत्र सुक्खा जाति काछी निवासी देवरी तहसील शाहावाद के वारिसान के नाम बावत सही सही जांच कर पुनः नामान्तरण दर्ज करें। नामान्तरण कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

23.08.2024

उपखण्ड अधिकारी

शाहाबाद, जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.09.24 12:44:55 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner